कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर

क्रमांक/एफ ( ) उवस/रा.च.घ.अ/वनसंरक्षण/2016–17/ दिनांकः–

निमित्तः–

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एंव क्षेत्र निदेशक,
मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व,
कोटा।

विषयः– जनपद कोटा के अन्तर्गत 765 के0वी0 एस/सी अंता से फागी सर्किट नम्बर 2 विद्युत लाइन निर्माण हेतु 1.6384 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रसंगः– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/01/2014/एफ.सी./1662 दिनांक 03.03.2014 तथा प्रयोक्ता अभिकरण की पालना रिपोर्ट 364 दिनांक 15.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 765 के0वी0 एस/सी अंता से फागी सर्किट नम्बर 2 विद्युत लाइन निर्माण हेतु 1.6384 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/01/ 2014/एफ.सी./1662 दिनांक 03.03.2014 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुई है उक्त क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार अनुपालना निम्नानुसार तैयार की गई है।

	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	शर्त की पालना
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.6384 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र 1.6384 है0 के विरूद्ध वन विभाग के पक्ष में ग्राम कीरपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के खसरा नं0 189 में 1.65 है0 भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करवा दिया गया है। उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 2,40,776/– RTGS द्वारा कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में वन विभाग के पक्ष में जमा करवा दिए गये है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण तथा उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 40,00,000/– RTGS द्वारा कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवा दिए गये है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट राशि रूपये 40,27,673/– की प्रतिलिपि संलग्न है।

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि अभयारण्य की प्रभावित वन भूमि 1.6384 है0 एवं गैर वन भूमि 15.872 है0 कुल 17.5104 है0 जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण N.P.V. की निर्धारित राशि वन विभाग के पक्ष में मांग पत्र के अनुसार रूपये 1,50,64,064/– RTGS द्वारा कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवा दिए गये है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट राशि रूपये 2,11,63,000/– की प्रतिलिपि संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5	भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाये।	प्रस्ताव में अधिरोपित शर्तो के विरूद्व वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली समस्त राशि रूपये 2,51,90,673/– कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवाई गयी है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार की गई है, जिस पर इस कार्यालय की सहमति है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज़–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	प्रस्ताव में अधिरोपित शर्तो के विरूद्व वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली समस्त राशि रूपये 2,51,90,673/– कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवा दी गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु 2 जेरोक्स प्रतिलिपियॉं संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या प्रस्तुत कर दी गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

8	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–FC, Dated 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।	अधिरोपित शर्त की अनुपालना में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र अनुपालना के साथ संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हे।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्रत्यावर्तित भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण देंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं करने सम्बन्धि वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।
11	स्तम्भों का निर्माण स्थानीय वन कर्मचारियों की मौजूदगी में दोनो किनारों से 70 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।
12	याचक विभाग द्वारा स्थानीय पक्षियों पर परियोजना के प्रभाव के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान अथवा समकक्ष संस्था द्वारा एक अध्ययन कराया जाएगा। याचक विभाग द्वारा इस अध्ययन का खर्च वहन किया जाएगा तथा इसे वन विभाग द्वारा समन्वयियेत किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय पक्षियों पर परियोजना के प्रभाव के संबंध में अध्ययन हेतु निदेशक वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया देहरादून को उनके द्वारा पत्र क्रमांक 451 दिनांक 14.07.2016 एवं पत्र क्रमांक 976 दिनांक 26.10.2016 द्वारा लिखा गया है। किन्तु अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त अध्ययन हेतु खर्च वहन करने तथा इसे वन विभाग द्वारा समन्वयित करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है जो संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्यां 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पार्क के मामलों में एन0पी0वी0 दस गुना जमा की जाएगी एवं वन्यजीव अभयारण्य के मामलों में एन0पी0वी0 5 गुना सामान्य दरों से जमा की जाएगी।	प्रस्ताव में अधिरोपित शर्त की अनुपालना के क्रम में वन्यजीव अभयारण्य होने से N.P.V. की 5 गुना राशि रूपये 51,28,192/– वन विभाग के पक्ष में कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवा दी गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट राशि रूपये 2,11,63,000/– की प्रतिलिपि संलग्न है।

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में प्रस्ताव की लागत का 5 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यरण के रख–रखाव एवं संरक्षित करने हेतु जमा की जाएगी।	प्रस्ताव में अधिरोपित शर्त की अनुपालना के क्रम में प्रस्ताव की लागत का 5 प्रतिशत धनराशि रूपये 58,85,000/– वन्यजीव अभयारण्य के रख–रखाव एवं संरक्षित करने हेतु वन विभाग के पक्ष में कार्पोरेशन बैंक के खाता संख्या 037100101025225 में जमा करवा दी गयी है। जिसकी पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट राशि रूपये 2,11,63,000/– की प्रतिलिपि संलग्न है।
15	वन्यजीव अभयारण्य एवं आस–पास स्थानीय वन्यजीव/वन कर्मचारियों की मौजूदगी में टावरों की स्थापना/निर्माण का कार्य किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
16	शर्तो के अनुपालना न होने अथवा बिजली लगने के कारण किसी वन्य प्राणी की मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी तय की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
17	अभयारण्य क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों एवं वाहनों की न्यूनतम आवाजाही की अनुमति प्रदान की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि पारेषण में रूकावट आने या तार टूटने पर बिजली की आपूर्ति रूक जाए ताकि कोई वन्यजीव बिजली की चपेट में न आए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अनुपालना प्रतिवेदन अनुशंषा के साथ अन्तिम स्वीकृति जारी करने वास्ते अग्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

sd

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर।

दिनांकः–19.06.2017

क्रमांक/एफ ( ) उवस/रा.च.घ.अ/वनसंरक्षण /2016–17/ 1926-28

प्रतिलिपिः– उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कोटा।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर।

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी)
कार्यालय अधिशाषी अभियंता (टी.&सी.) रा.रा.वि.प्र.नि.कोटा
ई.मेल:-xen.tnc.kota@rvpn.co.in ऑफिस फ़ोन 0744-2370086/M..No. 9414061332
क्रमांक:-अधिशाषी अभियंता/(टी.&सी.)/कोटा/2016-17/प्रे.364 दिनांक15.06.2017

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण
सवाई माधोपुर

विषय:- 765 के वी अंता से फागी सर्किट नंबर 2 विध्युत लाइन के निर्माण हेतु 1.6384 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन |

संदर्भ:- (i) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन अभ्यारण लखनऊ का पत्र क्रमांक 8B/यू. पी./04/01/2014/एफ. सी./1162 दिनांक 03-03-2014 |

(ii) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 688 दिनांक 24-09-2014 एवं 985 दिनांक 26-10-2016 |

महोदय

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है की भारत सरकार पर्यावरण एवं वन अभ्यारण लखनऊ के पत्र क्रमांक 8B/ यू. पी./04/01/2014/एफ. सी./1162 दिनांक 03-03-2014 के अनुसार 765 के वी अंता से फागी सर्किट नंबर 2 विध्युत लाइन के निर्माण हेतु 1.6384 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शुन्य वृक्षों के पातन की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी |

उपरोक्त स्वीकृति में की गयी शर्त संख्या 1 से 18 तक की पालना रिपोर्ट बिंदुवार निम्न लिखित है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम कीरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खसरा नंबर 189 क्षेत्रफल 1.65 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण नामान्तरण करवा दी गयी है (संलग्न पत्रादि) | क्षति पूर्ति , वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरो को समाहित करने हेतु तथा संशोधित) मांग पत्र (डिमांड नोट) के तहत रुपये 2,11,63,000.00 आर.टी.जी.एस. द्वारा कारपोरेशन बैंक अकाउंट नंबर 037100101025225 में दिनांक 12/05 /2014 को जमा करवा दिए गये है ,जिसकी रसीद संलग्न है |
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुय्त लाइन के नीचे बोने पोधो के (मुख्यतःओषधीय पोधो) रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु दिए नोट अनुसार 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र) दिनांक 25/10/2016 को आर.टी.जी.एस. द्वारा CAMPA फण्ड में जमा करवा दिए गये है |(स्टेटमेंट संलग्न है)
3. एनपीवी की निर्धारित राशि मांग पत्र अनुसार रुपए 2,11,63,000/- आर.टी.जी.एस. द्वारा CAMPA फण्ड में जमा करवा दिए गये है |(स्टेटमेंट संलग्न है)
4. एनपीवी की राशि में यदि बढ़ोतरी होती है तो उक्त आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न है |
5. शर्त के अनुसार एनपीवी तथा इसकी सभी निधियो हेतु जारी डिमांड नोट अनुसार राशि कारपोरेशन बैंक अकाउंट नंबर 037100101025225 में जमा करवा दी गयी है |
6. मोक डिस्पोजल योजना तैयार कर अनुपालना के साथ संलग्न है |
7. शर्त के अनुसार एनपीवी तथा दूसरी सभी निधियो हेतु जारी डिमांड नोट अनुसार राशि कारपोरेशन बैंक अकाउंट नंबर 037100101025225 में जमा करवा दी गयी है|
8. शर्त की अनुपालना में भुसंदर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र तैयार कर संलग्न है |
9. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिले के जिला अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है तथा प्रत्यावर्तित भूमि पर कोई दावा लंबित नहीं है |

(O.P. Sharma)
(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, इस आशय का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

11. निर्धारित शर्त की अनुपालना की जायेगी इस आशय का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

12. याचक विभाग द्वारा स्थानीय पक्षियों एवं परियोजना के प्रभाव के सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव अथवा समकक्ष संस्था द्वारा अध्धयन करवाया जायेगा। याचक विभाग द्वारा अध्धयन का ख़र्च वहन किया जायेगा जिसे वन विभाग द्वारा सम्बंधित किया जायेगा | उपरोक्त बिंदु की पालना में निदेशक वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया देहरादून को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक संख्या 451 दिनांक 14-07-2016 एवं 976 दिनांक 26-10-2016 द्वारा संपूर्ण दस्तावेजो को प्रस्तुत करते हुए लिखा जा चुका है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होते ही पालना प्रस्तुत कर दी जायेगी इस आशय का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

13. निर्धरित शर्त की अनुपालना में डिमांड नोट अनुसार एनपीवी पाँच गुना राशि रुपए 2,11,63,000/- आर. टी. जी. एस. द्वारा CAMPA फण्ड में जमा करवा दिए गये है |(प्रपत्र संलग्न है)

14. निर्धारित शर्त की अनुपालना में डिमांड नोट अनुसार लागत का 5% धन राशि CAMPA फण्ड में जमा करवा दी गयी है |(प्रपत्र संलग्न है)

15. निर्धारित शर्त की अनुपालना की जायेगी इस आशय का सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

16. निर्धारित शर्त की अनुपालना हेतु सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

17. निर्धारित शर्त की अनुपालना हेतु सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

18. निर्धारित शर्त अनुसार सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना तैयार कर अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत है | अतः आपसे निवेदन है की प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही कर अंतिम स्वीकृति प्रदान करवाने का कष्ट करे |

(ओ.पी.शर्मा)
अधिशाषी अभियंता(टी.&.सी)
रा.वि.प्र.नि., कोटा

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रस्तुत है |

1. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (टी.&सी.) रा.वि.प्र.नि., कोटा |
2. श्रीमान अधिशाषी अभियंता (पी. टी. सी. सी.) रा.वि.प्र.नि., जयपुर |
3. श्रीमान सहायक अभियंता-प्रथम (टी.&सी) रा.वि.प्र.नि., कोटा |

अधिशाषी अभियंता(टी.&.सी)
रा.वि.प्र.नि., कोटा

(O.P.Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

(111)

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य,सवाई माधोपुर

क्रमांकः–एफ( )एफ.सी.ए./2013–14/7450 दिनांक 19/2/14

निमित्त,

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (टी.सी.सी. 5),
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि,
सकतपुरा, कोटा।

विषय :– 765 केवी एस/सी अंता से फागी सर्किट नं. 2 विद्युत लाईन निर्माण 1.6384 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/01/2014/एफसी/1662 दिनांक 03.03.2014 एवं अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर का पत्रांकः एफ14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/2105–06 दिनांक 11.03.14

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 765 केवी एस/सी अंता से फागी सर्किट नं. 2 विद्युत लाईन निर्माण 1.6384 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावों को प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ ने स्वीकृति प्रदान की है। उक्त प्रस्तावों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सी.ई.सी. व नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ द्वारा अधीरोपित शर्तो के अध्यधीन निम्नानुसार राशि अविलम्ब राजस्थान कैम्पा फण्ड, यूनियन बैंक के खाता संख्या 344902010105431 में जमा करवाने तथा जमा राशि की प्राप्ति रसीद संलग्न कर इस कार्यालय को भिजवाये ताकि कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सके।

क्र.सं.	भूमि का प्रकार (अभयारण्य क्षेत्र में)	कुल क्षेत्रफल	एन. पी. वी. दर प्रति हैक्टयर (लाखों में)	राशि करोड़ में
1	वन भूमि	1.6384	1.6384 X 5 X 6.26	0.5128192
2	गैर वन भूमि क्षेत्रफल	15.872	6.26	0.9935872
3	5 प्रतिशत (एन.सी.एस. एरिया में–परियोजना लागत का राशि रूपये 11.77 करोड़)	–	–	0.5885,000
4	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि	1.65	1.29200	0.02131
	महायोग :–			2.1163

सी.ई.सी. (Central Empowered Committe) नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ (NBW) द्वारा अनुमति के साथ अधीरोपित शर्ते जिनकी पालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी है निम्नानुसार है :–

1. आप द्वारा परियोजना संचालन के दौरान पेड़ों की कटाई नहीं की जावेगी।
2. आप द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में नाईट केम्पिंग नहीं की जावेगी।
3. आप द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में विद्युत लाईन हेतु पिल्लर निर्माण करते समय नदी के किनारे (दोनो तरफ) से 70 मीटर की दूरी छोडी जावेगी तथा उक्त निर्माण कार्य के समय वन विभाग के स्थानीय स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

FCA Anta-fagi

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

(112)

4. आप द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजना से अभयारण्य क्षेत्र के जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट बनवाई जाकर प्रस्तुत करनी होगी; जिस पर होने वाला समस्त व्यय आप द्वारा वहन किया जावेगा।
5. अभयारण्य क्षेत्र में आपके स्टाफ एवं आप द्वारा काम में लिये जाने वाले वाहनों का कम से कम आना जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. आप द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के समय अभयारण्य क्षेत्र के वन्य जीवों एवं पेड़–पोधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जावेगा।
7. आप/आप द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अलावा अभयारण्य के किसी भू–भाग का प्रयोग आने–जाने, परिवहन, निर्माण कार्य व अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जावेगा।
8. आप द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का बेचान/हस्तान्तरण आदि नहीं किया जावेगा।
9. आप/आप द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10. आप द्वारा इस तरह की तकनीकी (मेकेनिज्म) सुनिश्चित की जावेगी; यदि किसी परिस्थिति में विद्युत लाईन में किसी प्रकार का ब्रेकेज, ट्रिप आदि होता है तो अभयारण्य क्षेत्र के किसी वन्य जीव को नुकसान नहीं हो।
11. आप द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में–परियोजना लागत की 5 प्रतिशत राशि अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण पर व्यय करनी होगी।
12. एन.पी.वी. राशि में कमी–बेशी होने पर आप द्वारा देय होगी।

इस के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं सी.ई.सी. द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तों एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों की पालना आप द्वारा सुनिश्चित की जावेगी एवं इस आशय का शपथ पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना होगा।

भवदीय.

(मानसिंह मीना)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य,
सवाई माधोपुर।

क्रमांकः–एफ( )एफ.सी.ए./2013–14/745–53 दिनांक 19/3/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), वन भवन, जयपुर को आपके पत्रांकः 105–06 दिनांक 11.03.2014 के क्रम में।
2. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा), वन भवन, जयपुर।
3. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य,
सवाई माधोपुर।

Recd.
19/3/14

FCA Anta-fagi

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक(वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर

क्रमांक/एफ( )उवस/रावधअ/ एफ.सी.ए./2015–16/4431 दिनांक 21-6-16

सेवा

अधीक्षण अभियन्ता(टी०सी०सी० -5)
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि०
सकतपुरा, कोटा ।

विषय: 765 केवी०/ एस०सी० अंता से फागी सर्किट न0 2 विद्युत लाईन निर्माण 1.6384 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज/04/01/2014 एफ सी/1662 दिनांक 3.3.2014 के क्रम मे इस कार्यालय का पत्रांक एफ.सी.ए./2013-14/7450 दि0 14.9.2015 तथा आपका पत्रांक 688 दि0 24.9.2015

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो के क्रम मे निवेदन है कि *भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 8 बी/राज/04/01/2014 एफ सी/1662 दिनांक 3.3.2014* से उक्त प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो की शर्त संख्या 2,12,17,व 18 के क्रम मे आपने अपने पत्रांक 688 दि0 24.9.2015 से इस कार्यालय को बिन्दुवार अवगत कराया है तथा शर्त संख्या 2 की पालना हेतु डिमाण्ड नोट चाहा है जो संलग्न प्रेषित है ।

बिन्दु संख्या 12 के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानीय पक्षियो पर परियोजना के प्रभाव के सम्बन्ध मे आपके द्वारा वाईल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूट, देहरादून से अध्ययन कराया जा रहा है । यदि उक्त अध्ययन पूर्ण हो चुका हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें ताकि पालना भिजवाई जा सके ।

उक्त के अतिरिक्त निवेदन है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्राप्त होने वाली समतुल्य राजस्व भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु आपके द्वारा पूर्व मे राशि रू0 2,13,100/- केम्पा फण्ड मे जमा कराए थे । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 1(25)वन/97 पार्ट जयपुर दिनांक 12.8.2015 से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों मे परिवर्तन कर राशि रू0 1,45,925/ प्रति है0 कर दिये जाने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य की अन्तर राशि रू0 27,576/ भी जमा कराई जानी है जिसे माँग-पत्र मे सम्मिलित कर दिया गया है

उक्त प्रकरण मे प्रस्तावित वन भूमि के बदले ग्राम कीरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा के खसरा नं0 189 मे से 1.65 है0 भूमि [illegible] । इस सम्बन्ध मे इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 4279-81 दिनांक 9.6.2016 से [illegible] को सूचित किया जा चुका है ।

उक्त बिन्दुओं की पालना होने पर ही प्रकरण अन्तिम स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना सम्भव हो सकेगा । अतः शीघ्र पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

क्रमांक/एफ( )उवस/रावधअ/ एफ.सी.ए./2015 16/4432-36 दिनांक :- 21-6-16

प्रतिलिपि:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)राज0 जयपुर (अरण्य भवन) को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज0 जयपुर को सूचनार्थ ।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा को सूचनार्थ ।
4. जिला कलेक्टर कोटा को सूचनार्थ ।
5. अधिशाषी अभियन्ता , सी०एण्ड एम(टी०सी०सी०)राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि0 सकतपुरा कोटा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप वन सरंक्षक(वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य, सवाई माधोपुर

प्रकरण 765 के0वी0 / एस0सी0 अंता से फॉगी सर्किट 2 विद्युत लाईन निर्माण हेतु 1.6384 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन मे भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 3.3.2014 की शर्त संख्या 2 व अन्तर राशि हेतु मॉग पत्र

1–प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों(मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि (256 मी0 64 मी0 पट्टी मे फैसिंग सहित) — रू. 40,00,000रू / –

2–अन्तर राशि (प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्राप्त भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जमा कराई गई राशि तथा वर्तमान मे लागू दरो से फलित राशि) — रू0 27,676 / –

योग :– कुल राशि रू0 40,27,673 /

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य
सवाईमाधोपुर

(O.P. Sharma)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

मौका पर्चा ग्राम खीरपुरा आराजी 17/09

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कोटा के पत्रांक राजस्व/6996/ दिनांक 08.10.13 से ग्राम खीरपुरा में राजकीय सिवायचक आराजी ख.नं. 17/09 रकबा 2.09 में से किता आराजी रकबा 1.65 है आराजी वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की सहमति दी जा चुकी है।

इसलिए उक्त आदेश की पालना में आज दिनांक 29.10.13 को मौके पर उक्त राजस्व सिवायचक आराजी ख.नं. 17/09 रकबा 2.09 है में से 1.65 है आ. [illegible] ग्राम खीरपुरा को उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य सवाईमाधोपुर को हस्तांतरित की जाती है। मौके पर वन विभाग को आराजी सुपुर्द की गयी। मौके पर अतिक्रमण आदि नहीं है पूर्व में इस आराजी को [illegible] को [illegible] कर दिया गया है तथा आराजी के [illegible] पर कार्यवाही की गई है जिसमें आगे निर्देशित किया जाता है कि इस आराजी पर कोई पुनः निर्माण आदि नहीं करे तथा स्थायी रहे।

ह0 [illegible] ह0 [illegible] ह0 [illegible]
29.10.13

ह0 पटवारी गोदा(?) ह0 [illegible] ह0 [illegible] पीपल्दा(?)

ह0 [illegible] ह0 AEN 29.10.13 RVPN कोटा EnEn 29.10.13 RVPN कोटा

[illegible]

(O.P Sharma)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

आंशिक नक्शा ट्रेस
ग्राम = नीमखुआ
तह० = खंडार
पटवारी = कोम (सम०)

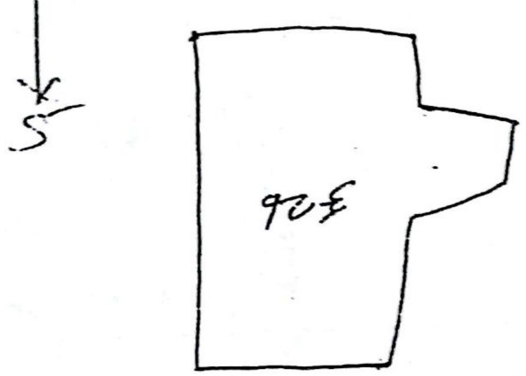

C.S.

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक वन्यजीव
राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य
सवाई माधोपुर

(G.P. Sharma)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

र. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा-6 ☎ : 2380748

प्रपत्र सं. पी. 26 (ए).
(देखिये नियम 13)

केवल नकल उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम घाटिया पटवार क्षेत्र गोठा क्षेत्र भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोठा तहसील [illegible] जिला कोटा राजस्थान सम्वत् 2071 से 2074 तक

खेवट (खतौनी) संख्या		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृत्ति का स्वरुप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई का स्त्रोत	कृषक द्वारा		सम्वत्.......के लिए		सम्वत्.......के लिए		सम्वत्.......के लिए		टिप्पणियां
नयी	पुरानी							दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामांतरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	भूमि के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामांतरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामांतरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राज. सरकार	6 वर्ष का आबीन पत्नी (चुराई हेतु)	189	2.89	बंजड़	×	×								

नोट ई. क्र. 101 / 9/12/16 से ख. नं. 189 रकबा 1.65 है. पर वन विभाग (जनजाति अभयारण) घड़ियाल खातेदार का नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ [illegible]

नोट ई. क्र. 81 / 27/7/15 से ख. नं. 189 रकबा 1.05 है. पर वन विभाग खातेदार दर्ज करना स्वीकार हुआ [illegible]

राज. [illegible] [illegible]
[illegible]
4/2017

[illegible] [illegible]
नकल ग्राही [illegible]
अखि०

[illegible]
(G.P. Sharma)

क्षेत्रीय वन अधिकारी (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण
कोटा

FCA [illegible]

Executive Engineer
(T & C)
RVPNL KOTA

Scanned by CamScanner

(केवल नकल के उपयोग हेतु)

खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम मोरपुरा तहसील पीपल्दा जिंला कोटा

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां							सम्वत् 2071 को गिरदावरी के अनुसार प्रविष्टियां									
नाम खनिज खेतों की संख्या	क्षेत्रफल	मृदा भूमि वर्ग	जमाबन्दी की संख्या	प्रविष्टियों सहित, खातेदार गैर खातेदार का नाम	उप-काश्तकार का नाम तथा उसके पिता का नाम जाति व निवास और खेती करने की शर्त	सिंचाई स्त्रोत तरीके सहित	क्षेत्रफल सहित फसलों का ब्यौरा						एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		न जोते गये क्षेत्रफल ब्यौरा	टिप्पणियां तथा अधिकारों, कब्जों, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन
							खरीफ (सियालु)			रबी (उन्हालु)						
							फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	2.89	बंजड़	1	सिवायचक ना. कोटा			—		—	गेंहू	0.10 / 0.10				बंजड़ 2.47	
										सरसों	0.32 / 0.32					

(O.P sharma)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (खेव्रट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- कीरपुरा
पटवार हल्का :- गैता
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- गेता
तहसील :- पीपल्दा
जिला :- कोटा

सम्वत :- 2071 - 2074
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :- राज. सरकार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2	2.9500	बारानी दोयम	2.9500	0.00			
3	5.4000	बारानी दोयम	5.4000	0.00			
10	0.3600	तीर	0.3600	0.00			
36	1.4900	बारानी दोयम	1.4900	0.00			
37	1.7100	बारानी दोयम	1.7100	0.00			
39	0.8700	बारानी दोयम	0.8700	0.00			
40	1.0000	बारानी दोयम	1.0000	0.00			
55	0.5200	बारानी दोयम	0.5200	0.00			
57	0.2800	तीर	0.2800	0.00			
59	0.1300	तीर	0.1300	0.00			
60	0.1200	तीर	0.1200	0.00			
62	0.0800	तीर	0.0800	0.00			
65	0.2600	तीर	0.2600	0.00			
66	0.3200	तीर	0.3200	0.00			
72	0.1700	तीर	0.1700	0.00			
73/2	0.1100	तीर	0.1100	0.00			
78	0.3000	तीर	0.3000	0.00			
81	0.2800	तीर	0.2800	0.00			
82	0.3000	तीर	0.3000	0.00			
92	1.7600	बंजड़	1.7600	0.00			
137/1477	0.3400	बंजड़	0.3400	0.00			
151	0.1300	बंजड़	0.1300	0.00			
153/1484	0.1700	तीर	0.1700	0.00			
169	0.3700	बंजड़	0.3700	0.00			
175	0.3600	बंजड़	0.3600	0.00			
189	2.8900	बंजड़	2.8900	0.00			
197	0.4600	बंजड़	0.4600	0.00			
199	0.2300	बंजड़	0.2300	0.00			
205	0.6400	बंजड़	0.6400	0.00			

नामा. स.: 81 - नि.दि.: 29/07/2015 - आवंटन ख0न0 55/0.52 57/0.28 2/2.95 3/5.40 10/0.36 36/1.49 72/0.17 73/2/0.11 82/3.30 92/1.76 137/1477/0.34 151/0.13 153/1484/0.17 169/0.37 189/1.05 199/0.23 210/0.36 215/1.28 216/0.84 217/2.69 218/1.66 835/0.56 कुल किता 22 रकबा 23.02 है. पर वन विभाग खातेदार दर्ज करना स्वीकार हुआ।

नामा. स.: 82 - नि.दि.: 29/07/2015 - आवंटन से ख0न0 1 रकबा 0.77 है. पर वन विभाग खातेदार दर्ज करना स्वीकार हुआ।

* नामा. स.: 101 - नि.दि.: 09/12/2016 - आवंटन से ख0न0 189 रकबा 1.65 है. भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ।हस्ता0 पटवारी

(O. P. Sharma)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN KOTA

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
210	0.3600	बंजड़	0.3600	0.00			
215	1.2800	बंजड़	1.2800	0.00			
216	0.8400	बंजड़	0.8400	0.00			
217	2.6900	बंजड़	2.6900	0.00			
218	1.6600	बंजड़	1.6600	0.00			
835	0.5600	बंजड़	0.5600	0.00			
165	0.1400	गै.मु.आबादी	0.1400	0.00			
173	0.7500	गै.मु.आबादी	0.7500	0.00			
174	0.0600	गै.मु.आबादी	0.0600	0.00			
176	0.1200	गै.मु.आबादी	0.1200	0.00			
177	0.0800	गै.मु.आबादी	0.0800	0.00			
179	0.2700	गै.मु.आबादी	0.2700	0.00			
22	0.6600	गै.मु. रास्ता	0.6600	0.00			
35	0.4100	गै.मु. रास्ता	0.4100	0.00			
86	0.7100	गै.मु. रास्ता	0.7100	0.00			
194	0.4000	गै.मु. रास्ता	0.4000	0.00			
1	0.7700	गै.मु. नाला	0.7700	0.00			
108	57.7700	गै.मु. नदी	57.7700	0.00			
192	0.0100	गै.मु. खड्डा	0.0100	0.00			
862	0.0800	गै.मु. नाला	0.0800	0.00			
कुल 49	93.6200		93.6200	0.00			

मुहर -

* वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 19/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 01/05/2017

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

129

FCP

अधिशाषी अभियंता (सी एण्ड एम) टी सी सी - 5 रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा

क्रमांक /अ.अ./सी-एण्ड एम/टीसीसी-5/कोटा/फार्म/2014-15/डी-43 दि. 3/7/14

निमित्त
24/7/14

श्रीमान उपवन संरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य
सवाई माधोपुर

विषय :- 765 KV S/C अन्ता से फागी सर्किट नं. 2 विद्युत लाइन के निर्माण में 1.6384 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/01/2014/एफ सी/1662 दिनांक 03-03-2014 एवं अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ सी राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14( )2011/एफ सी/प्र०मु०व०स०/2105-06 दिनांक 11-03-14

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक - एफ ( ) एफ सी ए/2013-14/7450 दि० 19-03-14 के द्वारा जारी डिमाण्ड राशि रु० 2,11,63000=00 के क्रम में.

महोदय

उपरोक्त विषय में सूचित कर लेख है कि 765 के०वी० एस/सी० अन्ता से फागी सर्किट नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण में 1.6384 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों को प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 7450 दिनांक 19-03-14 द्वारा राशि रु 2,11,63000=00 (दो करोड़ ग्यारह लाख, तरेसठ हजार रुपये) का डिमाण्ड नोट जारी किया था। जिसकी पालना में उपरोक्त राशि 2,11,63000=00 चैक संख्या 488683 दि० 12-05-14 को (RTGS द्वारा) कारपोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स न्यू देहली के कम्पनसेटरी एफोरेसेशन फण्ड के खाता संख्या 037100101025225 में दिनांक 12-05-14 को जमा करा दिये है। जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषय में अग्रिम कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

क्रमांक 880
दिनांक 25/7/14
अभ्यारण्य, सवाई...

संलग्न :- जमा राशि की प्राप्ति रसीद

Executive Engineer
(C & M TCC V)
RRVPNL, KOTA

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)

लगातार - 2

प्रतिलिपि श्रीमान जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (टीसीसी -5) रा०रा० विद्युत०नि० कोटा
2. सहायक अभियन्ता -I (सी एण्ड एम, टी सी सी -5) रा.रा.वि.प्र.नि. कोटा
3. श्रीमान लेखाधिकारी (टीसीसी -5) रा.रा. वि.प्र. नि. कोटा

[signature]
Executive Engineer
(C & M TCC V)
RRVPNL, KOTA

[signature] (O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
State Bank of Bikaner and Jaipur
The Bank with a vision

Print | Back

Account Statement for the period 12/05/2014 to 28/05/2014

Account Number	00000010001320107	**Branch**	KOTA THERMAL POWER PROJECT
Address	KTPS KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA RAJASTHAN-324008 India	**Account Type**	CA-GEN-PUB-IND-NONRURAL-INR
Account Name	A O TCC-V RRVPNL KOTA	**MOD Balance**	0.00
Drawing Power	0.00	**Interest Rate(% p.a.)**	15.75
Balance as on 12/05/2014	49,03,050.26		

Date (Value Date)	Narration	Ref/Cheque No.	Debit	Credit	Balance
12-May-14 (12-May-2014)	CHEQUE WDL 488623	********************************** 51031652962 488623	4,673.00		48,98,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	CASH CHEQUE Paid to HEM CHAND 488671	488671	22,000.00		48,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	BY TRANSFER INB fund to tcc5	CT43834978 TRANSFER FROM 51093320658 Mr. RRVPNL JAIPUR		50,00,000.00	98,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	BY TRANSFER INB fund to tcc5	CT43835124 TRANSFER FROM 51093320658 Mr. RRVPNL JAIPUR		50,00,000.00	1,48,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	BY TRANSFER INB fund to tcc5	CT43835150 TRANSFER FROM 51093320658 Mr. RRVPNL JAIPUR		50,00,000.00	1,98,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	BY TRANSFER INB fund to tcc5	CT43835167 TRANSFER FROM 51093320658 Mr. RRVPNL JAIPUR		50,00,000.00	2,48,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	BY TRANSFER INB fund to tcc5	CT43835243 TRANSFER FROM 51093320658 Mr. RRVPNL JAIPUR		32,00,000.00	2,80,76,377.26
12-May-14 (12-May-2014)	CASH CHEQUE Paid to BALMUKUND 488681	488681	5,800.00		2,80,70,577.26
12-May-14 (12-May-2014)	TO CASH / CHEQUE BY CLG 357481	357481	8,313.00		2,80,62,264.26
12-May-14 (12-May-2014)	CASH CHEQUE Paid to V N SHARMA 488614	488614	2,960.00		2,80,59,304.26
12-May-14 (12-May-2014)	CHEQUE WDL 356994	********************************** 61219899776 356994	25,832.00		2,80,33,472.26
13-May-14 (13-May-2014)	CHQ TRANSFER RTGS SBBJH14133300185 COMPENSATORY AFFORESATION FU 488683	488683	2,11,63,000.00		68,70,472.26
13-May-14 (13-May-2014)	CAS PRES CHQ 488680	488680	6,65,582.00		62,04,890.26
13-May-14 (13-May-2014)	CASH CHEQUE Paid to AEN 488679	488679	2,986.00		62,01,904.26
13-May-14 (13-May-2014)	CASH CHEQUE Paid to self 488676	488676	2,188.00		61,99,716.26
14-May-14 (14-May-2014)	CHQ TRANSFER RTGS SBBJH14134300295 VEER PURVA SAINIK LTD. 488685	488685	3,70,840.00		58,28,876.26
14-May-14	CHQ TRANSFER GRPT SBB1405141586310 JAI	488684	4,99,495.00		53,29,381.26

(A P Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता(टी.&सी.) रा.रा.वि.प्र.नि,कोटा

ई.मेल:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in ऑफिस फ़ोन न.0744-2370886

न./क्रमांक/अधिशाषी अभियंता (टी.&सी.)/कोटा/2016-17/प्रे. 985 दिनांक:- 26.10.2016

सेवा में,

श्रीमान उपवन संरक्षक (वन्यजीव)
राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारणय
सवाई माधोपुर |

विषय:- 765 के.वी. एकल परिपथ अंता से फागी सर्किट न. 2 विधुत लाइन के निर्माण हेतु 1.6384 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन |

संदर्भ:- (i) आपका पत्र क्रमांक/एफ ( ) उ व स/रा.च.घ.अ/एफ.सी.ए./2015-16/4431 दिनांक 21-06-2016 |
(ii) भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक 8वी/राज./04/01/2014/एफ सी/1662 दिनांक 03-03-2014 |
(iii) आपका पत्र क्रमांक एफ ( )/तक/2014-15/2052 दिनांक 16-09-2014 |

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ के पत्र क्रमांक-8वी/राज./04/01/2014/एफ सी/1662 दिनांक 03-03-2014 के अनुसार 765 के.वी. एकल परिपथ अंता से फागी सर्किट न. 2 के विधुत लाइन के निर्माण हेतु 1.6384 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पालना की सेधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी |

उपरोक्त विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्त संख्या 1 से 18 की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र संख्या 654 दिनांक 03-09-2014 द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी | इसके उपरांत आपके कार्यालय पत्र संख्या 2052 दिनांक 16-09-2014 द्वारा बिंदु संख्या 2, 12, 17 एवं 18 की पालना हेतु प्रमाण पत्र चाहा था जिसके बिंदु संख्या 17 एवं 18 की पालना इस कार्यालय के पत्र संख्या 688 दिनांक 24-09-2015 के द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी |

बिंदु संख्या 2 एवं 12 की पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार है |

(1) बिंदु संख्या 2 :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्य औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्ष तक के रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान वेतन दरो को समहित करते हुए जमा करायी जावेगी, उपरोक्त राशि रूपये 40,27,673/- (रूपये चालीसलाख सत्ताईस हजार छः सौ तिहत्तर) का मांग पत्र आपके पत्र संख्या 4431 दिनांक 26-06-2016 के द्वारा जारी किया गया था उपरोक्त राशि दिनांक 25-10-2016 को RTGS UTR No SBBJR 52016102503121165230968 COMPENSATORY AFFORESITATION के तहत चेक संख्या 230968 के द्वारा जमा करा दी गयी है |एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रति संलग्न की जा रही है |

2889
22-11-16

(O P Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

(2) बिंदु संख्या 12 :- याचक विभाग द्वारा स्थानीय पक्षियों एवं परियोजना के प्रभाव के सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान अथवा समकक्ष संस्था द्वारा अध्ययन कराया जायेगा | याचक विभाग द्वारा इस अध्ययन का खर्च वहन किया जायेगा | जिसे वन विभाग द्वारा समन्वयित किया जायेगा |

उपरोक्त बिंदु की पालना में निदेशक वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया देहरादून को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक संख्या 451 दिनांक 14-07-2016 एवं पत्र संख्या 978 दिनांक 26-10-2016 द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो को प्रस्तुत करते हुए अध्ययन कराने हेतु लिखा जा चुका है | उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होते ही पालना सुनिश्चित कर दी जावेगी |

उपरोक्त शर्तो की बिन्दुवार पालना सुनिश्चित कर आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही है | अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषय में आपके स्तर पर कार्यवाही कर अंतिम स्वीकृति प्रदान करवाने का कष्ट करे |

संलग्न :- उपरोक्त

(हस्ताक्षर)

(ओ.पी. शर्मा)
अधिशाषी अभियंता (टी.&सी.)
रा.रा.वि.प्र.नि. कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कोटा |
2. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (टी.&सी.) रा.रा.वि.प्र.नि.लि, कोटा |
3. श्रीमान सहायक अभियंता-प्रथम (टी.&सी.) रा.रा.वि.प्र.नि.लि, कोटा |
4. श्रीमान अधिशाषी अभियंता (पी एंड सी) रा.रा.वि.प्र.नि. कोटा

(हस्ताक्षर)

अधिशाषी अभियंता (टी.&सी.)
रा.रा.वि.प्र.नि. कोटा

(हस्ताक्षर) (O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
State Bank of Bikaner and Jaipur
The Bank with a vision

Print Back

Account Statement for the period 25/10/2016 to 26/10/2016

Account Number	00000010001320107	Branch	KOTA THERMAL POWER PROJECT
Address	KTPS KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA RAJASTHAN-324008 India	Account Type	CA-GEN-PUB-IND-NONRURAL-INR
Account Name	ACCOUNT OFFICER (T&C) RVPN KOTA	MOD Balance	0.00
Drawing Power	0.00	Interest Rate(% p.a.)	15.75
Balance as on 25/10/2016	1,08,68,235.26		

Date (Value Date)	Narration	Ref/Cheque No.	Debit	Credit	Balance
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CHQ TRANSFER RTGS UTR NO: SBBJR52016102503121165 230968 COMPENSATORY AFFORESTATION	230968 COMPENSATORY AFFORESTATION	40,27,673.00		68,40,562.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CAS SINGLE SIDED DEBIT T SBJ 230967	230967	79,688.00		67,60,874.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CASH CHEQUE CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE 230966	230966	3,000.00		67,57,874.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CASH CHEQUE CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE 230903	230903	5,000.00		67,52,874.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CASH CHEQUE CASH WITHDRAWAL BY CHEQUE 230907	230907	2,617.00		67,50,257.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	DEBIT SALARY		8,84,203.00		58,66,054.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	DEBIT SALARY		9,22,439.00		49,43,615.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CHEQUE WDL WITHDRAWAL TRANSFER BY CHEQUE 230918	********************************** 10001320163 230918	78,111.00		48,65,504.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CHQ TRANSFER NEFT UTR NO: SBBJ316299768426 231006 GANPATIENTERPRISESDEOLI	231006 GANPATIENTERPRISESDEOLI	45,547.00		48,19,957.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CHQ TRANSFER NEFT UTR NO: SBBJ316299768460 231007 KRISHNAENTERPRISES	231007 KRISHNAENTERPRISES	68,529.00		47,51,428.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CAS SINGLE SIDED DEBIT T SBJ 231008	231008	16,90,455.00		30,60,973.26
25-Oct-16 (25-Oct-2016)	CREDIT AC CLOSED JAIDEO ENT			67,188.00	31,28,161.26
26-Oct-16 (26-Oct-2016)	CAS PRES CHQ UBI ACCOUNTS OFFICER CASH BSN 230889	230889	1,213.00		31,26,948.26

Print Back

https://corp.sbbjonline.com/saral/printstatement.htm

1/1

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(22)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ० सी०/1662 दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी०एस०एस अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (6) की पालना में यदि भविष्य में एन० पी० वी० की धनराशि में बढोतरी होती है। तो रा०रा० वि०प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा बढ़ी हुई धनराशि जमा करा दी जावेगी।

(ओ. पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

मक डिस्पोजल योजना

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी./1662 दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (6) की पालना में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन भूमि में एक टावर स्थापित किया जायेगा। जिसमे 8.75 x 8.75 मीटर^2 के चार गड्ढे खोदे जायेगे। इन गड्ढो में सीमेन्ट रेत कंक्रीट से टावर की स्टब सैटिंग करके गड्ढो को मिट्टी से पुनः भर कर समतल कर दिया जायेगा और साइट पर सीमेन्ट गिट्टी रेत व अन्य बचा हुआ सामान हटा दिया जायेगा। कार्य के दौरान वन विभाग के पत्थर, लकड़ी, पेड़ पौधो आदि को उपयोग मे नही लिया जायेगा।

(O P Sharma) (Continue)

Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

और यह सम्पूर्ण कार्य वन विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में ही किया जायेगा।

(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

FORM-1
(for linear project)
Government of rajasthan
office of the District Collector KOTA

No. 2137 Dated 24/10/13

TO WHOWESOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of Indias letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3 August 2009 where the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the prosses of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEFs letter dated 5 February 2013 to wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.6384 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of rajasthan rajya vidhyut prasaran nigam ltd. for construction of 765 KV s/c ANTA (Baran) to Phagi (jaipur) Line CKT-11 in kota disttic falls within juridution of gram Kirpura forest land Kh.no. 183, 101/1560, 101, 178 and Gram Gainta forest land Kh.No. 185 total land 1.6384 Hac. in Pipalda Tehsil

It is further certified that-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.6384 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure D (District kota).

(b) the diversion of forest Land for facilities managed by the government as requred under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Privitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. AS above

जिला कलक्टर
Signature
(Full name and official seal of the District collector)

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी./1662 दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी०एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (10) की पालना में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन भूमि में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

(signature)

(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(signature)
(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा
Mobile No. (+91)9414061332
Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी./1662 दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के० वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (ii) की पालना के क्रम में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा स्तम्भों का निर्माण स्थानीय वन कर्मचारियों की मौजूदगी में दोनों किनारों से 70 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।

(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्‌युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी./1662/ दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (12) की पालना के क्रम में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा स्थानीय पक्षियो पर परियोजना के प्रभाव के संबंध में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। इस अध्ययन का खर्च यूजर एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा अध्ययन से प्राप्त तथ्यो को वन विभाग द्वारा समन्वयित करवाया जायेगा।

(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
"AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY"
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C)
Sakatpura, KOTA, Phone – +91-0744-2370886
E-mail: xen.cm.kota @rvpn.co.in

फि-इ्यरिया-(12)

No.RVPN/XEN(T&C)/KT/Works /2016-17/ D. 451 Dated: 14-07-2016.

To,

The Director
Wild Life Institute of India
Post Box No. 18, Chandrabani
DEHRADUN-248001

Sub:- Construction work of 765 KV S/C line CKT-II from Anta (Baran) to Phagi (Jaipur) Against P.O.No.Rural/SE(765 KV Design)/XEN(Str)/TN-4/PO No.322/D.180 Dt.24-11-2010 Supply Part & No.RVPN/SE(765KV Design)/XEN(Str)/TN-4/P.O No.323/D.181 Dt.24-11-2010 (S)

Regarding issuing NOC in respect of the affects on the local BIRDS, the place where the above line will pass through forest Area near Village-GENTA Tahsil-PIPALDA, Distt-Kota (Rajasthan)

Respected Sir,

On the above cited subject it is submitted that the construction work of 765 KV S/C line CKT-II form Anta (Baran) to Phagi (Jaipur) (Length 213.31 KM) is being executed by M/s L&T Ltd.. under the supervision of RAJASTHAN RAJYA VIDHYUT PRASARAN NIGAM LTD. The above line will pass through the forest Area Near Village-GENTA, Tehsil-PIPALDA, Distt-Kota The Proposal for arranging permission of construction of above line was submitted to Forest Department as per latest guide lines issued by the forest Department. The proposal approval was conveyed by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India, Regional office (Central Region) Lucknow vide Letter No.83/UP/04-01-2014/F.C./1662 Dt.03-03-2014 (Copy enclosed)

For submitting point wise compliance of above approved proposals, we requires a certificate mentioned at Sr. no.12 That by passing above line through forest area there will not be any affect on existing/local birds living/residing in forest area

It is requested to please arrange to issue the necessary certificate regarding this matter so that the compliance may be assured. The necessary fees/charges as per Rule shall be deposited by this office. The required documents has been enclosed for reference

Encl: 1. GT Sheet Showing line Route of line
2. GPS Co-ordinates of line route of forest area.
3. Copy of approval of proposal.

Sd/-
(M.K.Saxena)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, Kota

Copy submitted forwarded to the following for information necessary action please
1) The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur.
2) The Deputy Conservator of forest (Wild Life), Sawaimadhopur
3) The Superintending Engineer (T&C), RVPN, Kota.
4) The Assistant Engineer-I (T&C) RVPN, Kota.

Executive Engineer (T&C)
RVPN, Kota

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

18/7/16

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
"AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY"
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T&C)
Sakatpura, KOTA, Phone – +91-0744-2370886
E-mail: xen.cm.kota @rvpn.co.in

विज्ञप्ति -12

No.RVPN/XEN(T&C)/KT/Works /2016-17/ D.976 Dated: 26-10-16
Reminder: 1

To,

The Director
Wild Life Institute of India
Post Box No. 18, Chandrabani
DEHRADUN-248001

Sub:- Construction work of 765 KV S/C line CKT-II from Anta (Baran) to Phagi (Jaipur) Against P.O.No.Rural/SE(765 KV Design)/XEN(Str)/TN-4/PO No.322/D.180 Dt.24-11-2010 (Supply Part)& No.RVPN/SE(765KV Design)/XEN(Str)/TN-4/P.O. No.323/D.181 Dt.24-11-2010 (Service Part)

Ref.-No.RVPN/XEN(T&C)/KT/Works /2016-17/ D. 451 Dated: 14-07-2016

Regarding issuing NOC in respect of the affects on the local BIRDS, the place where the above line will pass through forest Area near Village-GENTA Tehsil-PIPALDA, Distt-Kota (Rajasthan)

Respected Sir,

On the above cited subject it is submitted that the construction work of 765 KV S/C line CKT-II form Anta (Baran) to Phagi (Jaipur) (Length 213.31 KM) is being executed by M/s L&T Ltd., under the supervision of RAJASTHAN RAJYA VIDHYUT PRASARAN NIGAM LTD. The above line will pass through the forest Area Near Village-GENTA, Tehsil-PIPALDA, Distt-Kota The Proposal for arranging permission of construction of above line was submitted to Forest Department as per latest guide lines issued by the forest Department. The proposal approval was conveyed by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India, Regional office (Central Region) Lucknow vide Letter No.83/UP/04-01-2014/F.C./1662 Dt.03-03-2014 (Enclosed with Refer Letter)

For submitting point wise compliance of above approved proposals, we requires a certificate mentioned at Sr. no.12 That by passing above line through forest area there will not be any affect on existing/local birds living/residing in forest area

It is requested to please arrange to issue the necessary certificate regarding this matter so that the compliance may be assured. The necessary fees/charges as per Rule shall be deposited by this office. The required documents has been enclosed for reference

(O.P.Sharma)
Executive Engineer (T&C)
RVPN, Kota

Copy submitted forwarded to the following for information necessary action please

1) The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur.
2) The Deputy Conservator of forest (Wild Life), Sawaimadhopur
3) The Superintending Engineer (T&C), RVPN, Kota.
4) The Assistant Engineer-I (T&C) RVPN, Kota.

Executive Engineer (T&C)
RVPN , Kota

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा
Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी./1662/ दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिजय नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (15) की पालना के क्रम में रा०रा० वि०प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं आस-पास स्थानीय वन्य जीव वाले क्षेत्र में वन कर्मचारियों की मौजूदगी में ही टावरों की स्थापना / निर्माण का कार्य किया जाएगा।

(signature)
(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(signature)
(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8बी/यू०पी०/04/01/2014/एफ.सी/1662/ दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं. 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (16) की पालना के क्रम मे रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा शर्तों की अनुपालना न होने अथवा बिजली लगने के कारण किसी वन्य प्राणी की मृत्यु की स्थिति मे राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O.P.Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in   Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी/यू०पी०/04/01/2014/ एफ.सी./1662/ दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के०वी० जी० एस० एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं.2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (17) की पालना में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेन्सी) द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मचारियों एवं वाहनों की न्यूनतम आवाजाही के लिए पार्क में अनुमति ली जाकर पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ओ. पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

नि० उपा० (18)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी / यू० पी० / 04 / 01 / 2014 / एफ० सी० / 1662 / दिनांक 03/03/2014 द्वारा 765 के० वी० जी०एस०एस० अंता से फागी जाने वाली परिपथ नं० 2 विद्युत लाईन के निर्माण के लिए जारी की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या (18) की पालना में रा० रा० वि० प्र० नि० लि० (यूजर एजेंसी) द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि पारेषण में रुकावट आने या तार टूटने पर बिजली की आपूर्ति जाये ताकि कोई वन्य जीव बिजली की चपेट में न आये, की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(signature)
(ओ.पी. शर्मा)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

(signature) (O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner